

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 41] दिल्ली, नवम्बर 6—नवम्बर 12, 2009, बृहस्पतिवार/कार्तिक 15—कार्तिक 21, 1931
 No. 41] DELHI, NOVEMBER 6—NOVEMBER 12, 2009, THURSDAY/KARTIKA 15—KARTIKA 21, 1931

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं 220, 225
]N.C.T.D. Nos. 220, 225

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्ताललय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2009

सं. फा. 10 (926)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8205.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिन्डा इंजिनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., बी-92, हिमालय हाउस, नौवीं मंजिल, 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 60,00,001 से 80,00,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 20,000 (रुपये बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 3rd November, 2009

No. F. 10(926)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8205.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-
 4102 DG/2009

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cinda Engineering & Construction Private Limited, B-92, Himalaya House, 9th Floor, 23 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,000 (Rs. Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.2,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 60,00,001 to 80,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (927)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8207.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फेकोर पावर लि., कोर्पोरेट वन, सूट नं. 401, प्लाट नं. 5 जसोला, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 12,20,41,050 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,96,82,501 से

4,18,86,605 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,22,042 (रुपये एक लाख बाईस हजार ब्यालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(927)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8207.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Facor Power Limited, Corporate One, Suite 401, Plot No. 5, Jasola, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,22,042 (Rs. One Lac Twenty Two Thousand forty two) only on the aggregate value of shares of Rs.12,20,41,050 for equity share certificates with distinctive Nos. 2,96,82,501 to 4,18,86,605 to be issued by the said company.

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

सं. फा. 10 (925)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8301.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अलपाइन ऑफ एशिया पेसीफिक इंडिया प्रा.लि., इरोज कार्पोरेट टावर्स, लेवल 15, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,40,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 76,00,001 से 1,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 24,000 (रुपये चौबीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 4th November, 2009

No. F. 10(925)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8301.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Alpine of Asia Pacific India Private Limited, Eros Corporate Towers, Level 15, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 24,000 (Rs. Twenty Four Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.2,40,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 76,00,001 to 1,00,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (880)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8302.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री किल्क सोफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि., के-4, साउथ एक्सटेंशन-II

नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 14,78,30,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 14793000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,47,830 (रुपये एक लाख सैतालीस हजार आठ सौ तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(880)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8302.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Click Software India Private Limited, K-4, South Extension-II, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,47,830 (Rs. One Lac Forty Seven Thousand Eight Hundred Thirty) only on the aggregate value of shares of Rs.14,78,30,000 for equity share certificates with distinctive Nos.10001 to 14793000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (918)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8303.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोजर बेयर एसईजैड डवलपर लि., 43-बी, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 75,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 75,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(918)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8303.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Moser Baer SEZ Developer Limited, 43-B, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,50,000 (Rs. Seven Lac Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.75,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 75,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (922)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8304.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टुडे होम्स नोएडा प्रा. लि., स्टेट्समेन हाऊस, आठवीं मंजिल, बाराखम्बा

रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(922)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8304.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Today Homes Noida Private Limited, Statesman House, 8th Floor, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.1,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (877)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8305.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोसलाईट इंडिया टेलीकाम प्रा. लि., सी-160, जेवीटीएस गार्डनस, छतरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110074, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(877)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8305.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Coslight India Telecom Private Limited, C-160, JVTs Gardens Chhatarpur Extension, New Delhi-110074 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.1,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (919)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8306.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एच-डी मोटर कम्पनी इंडिया प्रा.लि. 1105, अशोका इस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी

पृथक संख्या 10001 से 20,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 20,000 (रुपये बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(919)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8306.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. H.D. Motor Company India Private Limited, 1105, Ashoka Estate, 24 Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,000 (Rs. Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.2,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10001 to 20,10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (923)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8307.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वियोलिया वाटर (इंडिया) प्रा. लि., बी-1, मारबल आर्क, 9, पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली-110011, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 16,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,26,78,601 से 3,86,78,600 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(923)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8307.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Veolia Water(India) Private Limited, B-1, Marble Arch, 9, Prithviraj Road, New Delhi-110011 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,60,000 (Rs. One Lac Sixty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 16,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 2,26,78,601 to 3,86,78,600 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (921)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8308.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्टीग्रेटेड हेल्थ एण्ड हेल्थकेयर सर्विसेज इंडिया प्रा. लि. लोअर ग्राउंड फ्लोर, सी-4/5, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,13,95,550

मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,88,767 से 1,07,06,171 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,91,396 (रुपये एक लाख इक्यानवे हजार तीन सौ छ्यानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(921)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8308.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Integrated Health And Healthcare Services India Private Limited, Lower Ground Floor, C-4/5, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,91,396 (Rs. One lac Ninety Thousand Three Hundred Ninety Six) only on the aggregate value of shares of Rs.19,13,95,550 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,00,88,767 to 1,07,06,171 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (862)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8309.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सपीरियंस फाईनेंशियल कन्सलटेंट्स प्रा.लि., एन-1, तीसरी मंजिल, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 55,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 560000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5500 (रुपये पांच हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(862)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8309.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Experience Financial Consultants Private Limited, N-1, Third Floor, Kailash Colony, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5500 (Rs. Five Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.55,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10001 to 560000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 5 नवम्बर, 2009

सं. फा. 10 (924)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8315.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि

सर्वश्री प्रेह रिन्यूएबल एनर्जी प्रा, लि., 28, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली-110021, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 32,76,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,84,336 से 1,86,135 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3276 (रुपये तीन हजार दो सौ छियत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 5th November, 2009

No. F. 10(924)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8315.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Preah Renewable Energy Private Limited, 28, Sardar Patel Marg, New Delhi-110021 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3276 (Rs. Three Thousand Two Hundred Seventy Six) only on the aggregate value of shares of Rs.32,76,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,84,336 to 1,86,135 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (890)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/8316.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्या मैन्यूफैक्चरिंग इंडिया लि. 301, पदमा टावर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,75,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,008 से 18,00,007 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 17,500 (रुपये सत्तरह हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

No. F. 10(890)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8316.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Manufacturing India Limited, 301, Padma Tower-1, Rejendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 17,500 (Rs. Seventeen Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.1,75,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 50,008 to 18,00,007 to be issued by the said company.

By Order

of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)